Annexure-I

Summary Sheet for Centralize filling

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठुमर, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 12/2/2024

जीसीएमएस– 2024/145

दायर दिनांक– 03.05.2024

निर्णय दिनांक– 28.03.2025

1. निधि पुत्री फतेहसिंह पत्नी सतवीर जाति जाट निवासी पचोरा तहसील कुम्हेर जिला डीग हाल ग्राम सुनारी तहसील व जिला भरतपुर।

......अपीलाण्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत सौंख पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर।
2. कमलेश पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी कालाडेरा तहसील चौमू जिला जयपुर।

..... असल रेस्पोडेंण्ट

3. अभिषेक पुत्र फतेहसिंह जाति जाट निवासी पचोरा तहसील कुम्हेर जिला डीग।

.........तरतीवी रेस्पोडेंण्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 20.05.2010 विरासत इन्तकाल संख्या 668 ग्राम घीवडी ग्रा. पं. सौंख कठूमर अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति–1.श्री राधावल्लभ शर्मा, अधिवक्ता अपीलाण्ट

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में अपील विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 190/463, 193, 190/464, 194 वाके ग्राम घीवडी, ग्राम पंचायत दांतिया तहसील कठूमर में स्थित है,जो 1/3 हिस्सा फतेसिंह पुत्र गोपाल की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है है जिसके फौत हो जाने पर उसका विरासत इन्तकाल संख्या 668 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के नाम खिलाफ कानून विधि विरूद्व तरीके से किया है जो कानूनन गलत है। जिस गलत नाम के इन्तकाल को एवं कानूनगौ हल्का ने अपीलाण्ट के नाम की जॉच किये बिना ही बिना अपीलाण्ट को बुलाये बिना सुने विधि विरूद्व तरीके से तस्दीक होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट को उक्त इन्तकाल संख्या 668 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 30.04.2024 को पटवारी हल्का के पास जाने बैंक से श्रण लेने हेतु फाईल बनवाने गई तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 668 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। आदेश दिनांक 20.05.201 से दिनांक 30.04.2024 तक की देरी कण्डोन किये जाने का उचित कारण है जिस देरी को कण्डोन करने के लिये अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज0

मियाद अधिनियम पत्रावली के साथ पेश किया गया है विवादित इन्तकाल ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एवं अपीलांट्स को बिना सुने बिना बुलाये तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 668 दिनांक 20.05.2010 वाके ग्राम घीवडी ग्राम पंचायत सौंख तहसील कठूमर, अलवर निरस्त करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर अपीलाण्ट को सुना गया। अपीलाण्ट द्वारा निवेदन किया गया की उक्त दोषपूर्ण इन्तकाल संख्या 668 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 30.04.2024 को पटवारी हल्का के पास से नकल बनवाये जाने के दौरान एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 668 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। ऐसे मामलों में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा देरी में नरमी का रूख अपनाया है। हस्तगत प्रकरण में अपील में देरी के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 स्वीकार होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट दिनांक 22.08.2024 रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 वाबजूद रजिस्टर तामिल उपस्थित नहीं आये उनके अनुपस्थित दर्ज की गई। तरतीवी रेस्पोडेण्ड से अपीलाण्ट कोई अनुतोष नहीं चहाते है उनको अपील से तर्क किया गया है।

अपीलाण्ट अभिभाषक की अपील पर बहस सुनी गयी। सर्वप्रथम हमें उक्त इन्तकाल संख्या 668के बारे में जानकारी दिनांक 30.04.2024 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 668 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया पटवारी हल्का ने दिनांक 20.05.201 को बिना वारिसानों सही गलत की जॉच किये बिना ही इन्तकाल में नाम दर्ज कर दिया जो कानून गलत इस वजह से उक्त इन्तकाल संख्या 668 दिनांक 20.05.2010 खिलाफ कानून विधि विरूद्व तरीके से गलत नाम तस्दीक होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। विवादित इन्तकाल ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एवं अपीलांट्स को बिना सुने बिना बुलाये तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 668 दिनांक 2010 वाके ग्राम घीवडी ग्राम पंचायत सौख तहसील कठूमर, अलवर निरस्त करने का निवेदन किया है।

हमने अपीलाण्ट अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलाण्ट अधिवक्ता बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजात के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

–::आदेश::–

अतः अपीलाण्ट अधिवक्ता बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत सौंख द्वारा स्वीकृत

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

इंतकाल संख्या 668 दिनांक 20.05.2010 वाके ग्राम घीवडी ग्राम पंचायत सौंख को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कठूमर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर